POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 16.04.2025

थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-279/2024 धारा-376/366/323 भा0द0सं0, 6/21 पॉक्सो एक्ट व 9/10 प्रोहिबेशन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बन्टी राजपूत पुत्र देव सिंह राजपूत निवासी ग्राम सुनवाहा थाना बानपुर जनपद ललितपुर को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-16.04.2025 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत बरना बाजार तिराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बन्टी राजपूत पुत्र देव सिंह राजपूत निवासी ग्राम सुनवाहा थाना बानपुर जनपद ललितपुर, उम्र करीब 24 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-279/2024 धारा-376/366/323 भा0द0सं0, 6/21 पॉक्सो एक्ट व 9/10 प्रोहिबेशन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 केशरी तिवारी, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. प्रशि0 उ0नि0 अतुल यादव, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना खीरी पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस सेल यमुनानगर जोन की संयुक्त टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद

थाना खीरी पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस सेल यमुनानगर जोन की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 1.शुभम सिंह उर्फ सर्वशक्ति सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम कुडरी थाना चाकघाट जनपद रीवा मध्य प्रदेश 2.विजय सिंह पुत्र बुलबुल सिंह निवासी कुडरी थाना चाकघाट जनपद रीवा मध्य प्रदेश को आज दिनांक-16.04.2025 को थाना खीरी क्षेत्रान्तर्गत गड़री नहर पुलिया के पास से घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

अवगत करना है कि दिनांक-09.04.2025 को वादी मिथिलेश कुमार मिश्र पुत्र गंगा प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम कुडरी थाना चाकघाट जनपद रीवां (म0प्र0) द्वारा लिखित तहरीर थाना खीरी पर दी गयी कि विपक्षी द्वारा जमीन की रंजीश को लेकर आवेदक के बड़े भाई चन्द्रकान्त मिश्र को खेत में गेहूँ की मडाई कराते समय जान से मारने की नियत से गोली मार देना तथा इलाज हेतु एसआरएन प्रयागराज ले जाया गया जहां डाक्टरों द्वारा आवेदक के भाई चन्द्रकान्त को मृत घोषित कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम बलवीर सिंह पुत्र नर्वदा प्रसाद सिंह निवासी ग्राम कुडरी थाना चाकघाट जनपद रीवा मध्य प्रदेश पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2)(क) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा विवेचना व साक्ष्य संकलन से तथ्य प्रकाश में आया कि नामित अभियुक्त बलवीर सिंह के पुत्र शुभम सिंह उर्फ सर्वशक्ति सिंह उपरोक्त तथा उनके करीबी विजय सिंह उपरोक्त ने संयुक्त रूप से योजना बनाकर हत्या की घटना को अंजाम दिए हैं। जिससे अभियुक्त शुभम सिंह उर्फ सर्वशक्ति सिंह उपरोक्त व अभियुक्त विजय सिंह उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया है। घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना खीरी पुलिस व एसओजी/सर्विलांस सेल

यमुनानगर की संयुक्त टीम गठित कर तलाश की जा रही थी। जिसके क्रम में आज दिनांक-16.04.2025 को अभियुक्तों उपरोक्त को थाना खीरी क्षेत्रान्तर्गत गड़री नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0 सं0-UP70EU6259 चेसिस नं0-ME4JC58EFJT055259 होंडा कम्पनी ड्रीम युग रंग लाल (अभियुक्त शुभम सिंह उर्फ सर्वशक्ति सिंह उपरोक्त के कब्जे से) तथा मोटरसाइकिल रजि0 सं0-UP70GH7315 चेसिस नं0-MBLHAW176NHK23649 हीरो स्प्लेंडर प्लस रंग काला व ग्रे (अभियुक्त विजय सिंह उपरोक्त के कब्जे से) बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

1. गिरफ्तार अभियुक्त शुभम सिंह उर्फ सर्वशक्ति सिंह उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि चन्द्रकान्त मिश्रा मेरे गांव के रहने वाले हैं जिन्होंने मेरे पिता जी के हिस्से की जमीन को गलत तरीके से मेरे चाचा से अपने पत्नी के नाम लिखवा लिये थे, जिसका दाखिल खारिज मेरे पिता जी ने रुकवा दिया है। जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, किन्तु चन्द्रकान्त मिश्रा धनवान व प्रभावी होने के कारण जमीन पर कब्जा किये हुए था और आये दिन धौंस देता रहता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पायेगा। मैं जमीन भी हड़प लूंगा और पूरा पैसा भी नहीं दूंगा। दिनांक 09.04.2025 को भी चन्द्रकान्त मिश्रा ने यह बात कही थी कि इनकी जमीन ले लिया और ये लोग कुछ नहीं कर पाये है। इस बात की जानकारी होने के बाद मेरे पिता जी बहुत क्रोध में थे और मुझसे बोले कि आज इनका कुछ करना होगा। उनकी बात से मैं भी सहमत था। दिनांक 09.04.2025 की ही शाम के समय पिता जी ने बताया कि सुनने में आ रहा है कि आज शाम को चन्द्रकान्त मिश्रा के खेत में गेहूँ की मड़ाई होगी तो निश्चय ही चन्द्रकान्त मिश्रा खेत पर जायेगा, उसी समय मौका देखकर उसका काम तमाम कर देंगे। पिता जी ने मुझसे बताया कि इस काम में सहयोग हेतु किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना होगा। इसके लिए पिता जी ने गाँव के ही विजय सिंह को विश्वास में लेकर यह योजना बनायी कि मौका पाकर चन्द्रकान्त मिश्रा को पिता जी गोली मारेंगे और उनका सहयोग मैं और विजय सिंह करेंगे। चूंकि विजय सिंह से हमारे अच्छे सम्बन्ध है और घर आना जाना उठना बैठना होता है और रिश्ते में भी आता है। अतः विजय भी तैयार हो गया। घटना वाले दिन शाम को 09:00 बजे लगभग चन्द्रकान्त मिश्रा खेत में अलग बैठा था व अन्य लोग गेहूँ की थ्रेसरिंग करने में व्यस्त थे। मौका पाकर पिताजी ने चन्द्रकान्त मिश्रा को योजनाबद्ध तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से भाग कर पहले से तय योजना के अनुसार कुडरी मेन रोड की तरफ चले गये। जिसके बाद विजय ने मेरी मां व बहन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर तथा मैने दूसरी मोटरसाइकिल पर पिताजी को बैठाकर बारीचौरा गांव के बाहर छोड दिया। जिसके बाद

विजय अपने घर चला गया और मैं इलाहाबाद चला गया। तब से पिताजी, मां व बहन उधर कही ही छिपे हैं। पुलिस हम लोगों को ढूंढते हुए हम लोगों के घरों पर गयी थी तो हम लोगों को आभास हो गया था कि पुलिस हम लोगों के बारे में जान गयी है। जिसके बाद हम लोग घर से भागकर इधर-उधर छिप कर दिन काट रहे थे। आज पहड़ी के रास्ते कुछ खाने पीने की फिराक में बाजार की तरफ जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

2. गिरफ्तार अभियुक्त विजय सिंह उपरोक्त ने पूछताछ बताया कि बलवीर मेरे गांव के रहने वाले हैं और उनके परिवार व मेरे परिवार के बीच अच्छे संबंध है। तथा एक दूसरे के घर आना जाना व खाना पिना होता रहता है। हमारे गांव के ही रहने वाले चन्द्रकान्त मिश्रा बहुत ही मनबढ़ किस्म का आदमी है जिन्होंने बलवीर सिंह के भाई से गुमराह करके खेत लिखवा लिये थे जिसमें बलवीर सिंह का भी हिस्सा था जब बलवीर सिंह से इस बारे में बात किये तो उल्टी सीधी बात करने लगे और आये दिन धौंस जमाते थे कि मैं बहुत पहुंच वाला आदमी हूँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चन्द्रकान्त मिश्रा के ऐसी बातों से मुझे भी बुरा लगता था। जब बलवीर सिंह ने चन्द्रकान्त मिश्रा को मारने की बात की तो मैं भी तैयार हो गया। घटना वाले दिन शाम को 09:00 बजे लगभग चन्द्रकान्त मिश्रा खेत में अलग बैठा था व अन्य लोग गेहूँ की थ्रेसरिंग करने में व्यस्त थे। मौका पाकर बलवीर सिंह ने चन्द्रकान्त मिश्रा को योजनाबद्ध तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से भाग कर पहले से तय योजना के अनुसार कुडरी मेन रोड की तरफ चले गये। जिसके बाद मैने शुभम की मां व बहन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर तथा शुभम ने दूसरी मोटरसाइकिल पर बलवीर सिंह को बैठाकर बारीचौरा गांव के बाहर छोड दिया। जिसके बाद मै अपने घर चला गया और शुभम इलाहाबाद चला गया। तब से बलवीर सिंह, उसकी पत्नी व पुत्री उधर कही ही छिपे हैं। पुलिस हम लोगों को ढूंढते हुए हम लोगों के घरों पर गयी थी तो हम लोगों को आभास हो गया था कि पुलिस हम लोगों के बारे में जान गयी है। जिसके बाद से हम लोग घर से भागकर इधर-उधर छिप कर दिन काट रहे थे। आज पहड़ी के रास्ते कुछ खाने पीने की फिराक में बाजार की तरफ जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शुभम सिंह उर्फ सर्वशक्ति सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम कुडरी थाना चाकघाट जनपद रीवा मध्य प्रदेश, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. विजय सिंह पुत्र बुलबुल सिंह निवासी कुडरी थाना चाकघाट जनपद रीवा मध्य प्रदेश, उम्र करीब 33 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-46/25 धारा-103(1)/61(2)(क) बी0एन0एस0 थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0 सं0-UP70EU6259 चेसिस नं0-ME4JC58EFJT055259 होंडा कम्पनी ड्रीम युग रंग लाल (अभियुक्त शुभम सिंह उर्फ सर्वशक्ति सिंह उपरोक्त के कब्जे से) तथा मोटरसाइकिल रजि0 सं0-UP70GH7315 चेसिस नं0-MBLHAW176NHK23649 हीरो स्प्लेंडर प्लस रंग काला व ग्रे (अभियुक्त विजय सिंह उपरोक्त के कब्जे से)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.थाना खीरी पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष आशीष सिंह
2. उ0नि0 अजय कुमार
3. उ0नि0 दीनदयाल
4. उ0नि0 जय प्रकाश सिंह
5. का0 आकाश पाण्डेय
6. का0 संतोष यादव

2.एस0ओ0जी0 यमुनानगर जोन टीम-

1. उ0नि0 नवीन कुमार सिंह (प्रभारी)
2. हे0 का0 चालक दिनेश सिंह
3. का0 रंजीत यादव
4. का0 आकाशदीप
5. का0 सिद्धेश्वर पाण्डेय
6. का0 मनोज कुमार

3.सर्विलांस सेल यमुनानगर जोन टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद यादव (प्रभारी)
2. का0 अजय सिंह
3. का0 विजय सिंह
4. का0 रवि यादव